न्यायालय सहायक कलेक्टर, बागोड़ा (जिला–जालोर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा, आर.ए.एस.

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
गंगा पुत्री धुड़ाराम पत्नी हीरालाल जाति विश्नोई निवासी कूका तह. बागोड़ा हाल निवासी सरनाऊ तहसील सांचौर जिला जालोर		1. वागाराम पुत्र धुड़ाराम 2. आसूराम पुत्र धुड़ाराम 3. हरीराम पुत्र धुड़ाराम 4. गंगाराम पुत्र धुड़ाराम कौम विश्नोई निवासीगण कूका तहसील बागोड़ा जिला जालोर। 5. सुरती पुत्री धुड़ाराम पत्नी कानाराम जाति विश्नोई निवासी कूका तहसील बागोड़ा हाल निवासी तेतरोल तह. चितलवाना 6. गवरी पुत्री धुड़ाराम पत्नी जीयाराम जाति विश्नोई निवासी कूका तहसील बागोड़ा हाल निवासी सिनावड़ा तहसील गुडमालानी जिला बाड़मेर। 7. शान्ति पुत्री धुड़ाराम पत्नी हीरालाल जाति विश्नोई निवासी कूका तहसील बागोड़ा हाल निवासी करवाड़ा तह. रानीवाड़ा 8. स्व. रुकमण पुत्री धुड़ाराम पत्नी हरदा जाति विश्नोई निवासी कूका तहसील बागोड़ा हाल निवासी खारा तहसील सांचौर जिला जालोर के का.मु.वारिस :– (अ) जेती पुत्री हरदा पत्नी किशनलाल जाति विश्नोई निवासी बी. ढाणी सांचौर तहसील सांचौर (ब) इन्दिरा पुत्री हरदा पत्नी मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी करड़ा (स) पुनी पुत्री हरदा पत्नी किशनलाल जाति विश्नोई निवासी रोहट तहसील रोहट जिला पाली। (द) धापु पुत्री हरदा पत्नी रतनाराम जाति विश्नोई निवासी करड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर। 9. स्व. माडु पुत्री धुड़ाराम पत्नी वगताराम जाति विश्नोई निवासी कूका तहसील बागोड़ा हाल निवासी डीगांव (करड़ा) तहसील रानीवाड़ा के का.मुकाम वारिस :–

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

(अ) कालूराम पुत्र वगताराम जाति विश्नोई निवासी डीगांव (करड़ा) तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर।

10. स्व. चनणी पुत्री धुड़ाराम पत्नी हबताराम जाति विश्नोई निवासी कूका तहसील बागोड़ा हाल निवासी वाडाभाडवी तहसील बागोड़ा जिला जालोर के कायम मुकाम वारिस :–

(अ) सुरताराम पुत्र हबताराम जाति विश्नोई निवासी पूनासा तहसील भीनमाल जिला जालोर।

(ब) बाबूलाल पुत्र हबताराम जाति विश्नोई निवासी वाडाभाडवी तहसील बागोड़ा जिला जालोर।

(स) भाखराराम पुत्र हबताराम जाति विश्नोई निवासी वाडाभाडवी तहसील बागोड़ा जिला जालोर।

(द) बुली पुत्री हबताराम पत्नी गंगाराम जाति विश्नोई निवासी सेवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर।

(य) वाली पुत्री हबताराम पत्नी जगदीशकुमार जाति विश्नोई निवासी हालीवाव तहसील चितलवाना जिला जालोर।

(र) तुलसी पुत्री हबताराम पत्नी भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी करवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर।

11. जगमालाराम पुत्र आसूराम जाति विश्नोई निवासी कूका तहसील बागोड़ा जिला जालोर।

12. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार बागोड़ा जिला जालोर।

13. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।

<u>दावा बाबत् घोषणा खातेदारी हकं व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

सहायक कलेक्टर

उपस्थित :— श्री गोरधनराम विश्नोई, अधिवक्ता वादीया
श्री छैलपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 10
प्रतिवादी संख्या 1 व 11 के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश

मुकदमा संख्या :— 16/2019 दिनांक :— 06/12/2019

—: निर्णय :—

उक्त वाद का विवरण विश्लेषण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीया ने स्व. धुडाराम पुत्र गणेशारामाजी का वंशावली सजरा दर्शित करते हुए बताया कि धुड़ाराम पुत्र गणेशाजी की खातेदारी आराजी गत खसरा नंबर 305 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 528/434 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 48 रकबा 62 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 84 रकबा 47 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 83 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 85 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा कुल खसरे 6 कुल रकबा 149 बीघा 4 बिस्वा सरहद मौजा कूका में स्थित थी, जो प्रथम सेटलमेंट में धुड़ाराम पुत्र गणेशाजी के नाम से खातेदारी में दर्ज थी। धुड़ाराम पुत्र गणेशाजी का स्वर्गवास सन् 1987 में हो गया था। धुड़ाराम के फौत होने पर उनके कायम मुकाम वारिसदार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का नाम धुड़ाराम के स्थान पर खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा धुड़ाराम के उत्तराधिकारी कायम मुकाम की बिना जांच किए ही केवल धुड़ाराम के पुत्रगण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम ही जरिए नामांतरणकरण संख्या 198 दिनांक 25.12.1987 को पटवारी हल्का डुंगरवा द्वारा भरा जाकर स्वीकृत कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध एवं विधि विरूद्ध किया गया है। स्व. धुड़ाराम की खातेदारी आराजी में वादीया व प्रतिवादी संख्या 5 से 10 धुड़ाराम की जाईन्दा पुत्रियां होने से उनका नाम भी उक्त खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। कालांतर में इस क्षेत्र में रिसेटलमेंट हुआ। रिसेटलमेंट में उपरोक्त गत खसरा नंबर के नये खसरा नंबर 31 रकबा 9.81 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 404 रकबा 3.48 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 638 रकबा 2.64 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 27 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 58 रकबा 7.76 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 30 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरी, खसरा नंबर 57 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुल खसरे 7 कुल रकबा 24.18 हैक्टेयर सृजित किए गए एवं उक्त खातेदारी द्वितीय मिसल बंदोबस्त में वागाराम, आसुराम, हरखाराम उर्फ हरिराम, गंगाराम पिसरान धुड़ाराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज की गई। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 धुड़ाराम पुत्र गुणेशा के कायम मुकाम वारिसदार है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 5 से 10 धुड़ा की जायंदा पुत्रियां तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 धुड़ाराम के पुत्रगण है। उपरोक्त धुड़ाराम की खातेदारी आराजी में जन्म से हक व अधिकार धुड़ाराम के फौत होने के बाद वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का समान रूप से बराबर—बराबर हिस्सा आता है, जिससे धुड़ाराम की सम्पूर्ण आराजी में वादीया का 1/11 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 प्रत्येक का 1/11 हिस्सा बंट में आता है। स्व. धुड़ाराम की खातेदारी आराजी को हैक्टेयर प्रणाली में रकबा 24.18 हैक्टेयर सृजित बताया है, जिसमें वादीया का 1/11 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 प्रत्येक का 1/11 हिस्सा बनता है। प्रत्येक के 1/11 हिस्से के अनुसार रकबा 2.198 हैक्टेयर हिस्से व बंट में आता है। स्व. धुड़ाराम की खातेदारी आराजी धुड़ाराम के फौत होने पर उनके स्थान पर केवल प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का खातेदारी में नाम दर्ज होने पर प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

संख्या 1 वागाराम ने नए खसरा नंबर 58 रकबा 7.76 हैक्टेयर में से अपनी खातेदारी में दर्ज 1/4 हिस्से की आराजी में से यानि 1.76 हैक्टेयर जगमालाराम पुत्र आसुराम, प्रतिवादी संख्या 11 को दिनांक 17.12.1990 को बेचान कर दी गई। उक्त बेचान के जरिए नामातंरणकरण संख्या 117 दिनांक 12.01.2000 को सरपंच ग्राम पंचायत कूका द्वारा स्वीकृत कर प्रतिवादी संख्या 11 का उक्त खातेदारी में नाम दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नंबर 58 रकबा 7.76 हैक्टेयर में से नामातंरणकरण संख्या 162 दिनांक 19.12.2001 के स्वीकृत होने पर खसरा नंबर 58 में से 0.16 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन राजीव गांधी पाठशाला हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 11 द्वारा समर्पण करने पर खसरा नंबर 818/58 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन स्कुल दर्ज किया गया तथा खसरा नंबर 31 में से नवीन खसरा नंबर 855/31 रकबा 0.17 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा समर्पण करने पर नामातंरणकरण संख्या 370 दिनांक 26.11.2010 को राजस्थान सरकार सार्वजनिक रास्ता उपयोग हेतु दर्ज किया गया तथा खसरा नंबर 404 रकबा 3.48 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम ने सम्पूर्ण 1/4 हिस्से में दर्ज भूमि 0.87 हैक्टेयर भूमि का हक त्याग प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक में करने से नामातंरणकरण संख्या 707 दिनांक 27.09.2018 को उक्त खातेदारी प्रवितादी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि स्व. धुड़ाराम की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम का 1/11 हिस्से के अनुसार नए हैक्टेयर प्रणाली में परिवर्तित करने पर रकबा 2.198 हैक्टेयर ही हिस्से में आती है। प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम द्वारा रकबा 1.76 हैक्टेयर का बेचान, रकबा 0.16 हैक्टेयर राजीव गांधी पाठशाला हेतु समर्पण, रकबा 0.17 हैक्टेयर सार्वजनिक रास्ते हेतु समर्पण, 0.87 हैक्टेयर का हक त्याग करने पर शेष उसके हिस्से में खातेदारी शेष नहीं रहती है। प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 फौत हो चुकी है। उसके कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 8(1), (2), (3), प्रतिवादी संख्या 9(1), प्रतिवादी संख्या 10(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम के उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में 1/11 हिस्सा आता है जो हैक्टेयर प्रणाली में रकबा 2.198 हैक्टेयर बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम ने खसरा नंबर 58 रकबा 7.76 हैक्टेयर में अपनी खातेदारी भूमि में दर्ज भूमि में से रकबा 1.76 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 11 को बेचान कर दिया गया, प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम के 1/11 हिस्सा यानि रकबा 2.198 हैक्टेयर में से रकबा 1.76 हैक्टेयर बेचान करने पर उसके हिस्से में से शेष रकबा 0.438 हैक्टेयर आराजी रही। प्रवितादी संख्या 1 वागाराम ने खसरा नंबर 404 रकबा 3.48 हैक्टेयर 1/4 हिस्से अनुसार रकबा 0.87 हैक्टेयर को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक में हक तर्क कर दिया है यानि कुल वादग्रस्त आराजी में अपने 1/11 हिस्से आराजी से रकबा 0.432 हैक्टेयर अधिक बेचान व हक तर्क कर दिया गया। अब प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम का उक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि वादग्रस्त आराजी में उसका हक व हिस्सा नहीं रहा है शेष भूमि यानि 21.652 हैक्टेयर में वादीया व प्रतिवादी संख्या 5 से 10 के वादग्रस्त आराजी में 1/10 हिस्सा है तथा वादीया व प्रतिवादी संख्या 5 से 10 को 1/10 हिस्सा के अलावा शेष हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हकतर्क नाम ही भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हिस्से में समायोजन करने पर 1/10 हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 को शेष रहे अपने हिस्से से अधिक हक तर्क करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसके अलावा स्कूल हेतु व रास्ता हेतु सार्वजनिक हितार्थ हेतु की गई भूमि वादीया को कोई आपत्ति नहीं है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का उक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि में जन्म से अधिकार व हक है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम का हिस्सा बेचान व तर्क किए जाने पर शेष भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 6.83 हैक्टेयर, खसरा नंबर 860/31 रकबा 2.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 404 रकबा

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

3.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 638 रकबा 2.64 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 7.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 30 रकबा 0.011 हैक्टेयर खसरा नंबर 57 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल रकबा 23.85 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि खसरा नंबर 58 में से रकबा 1.76 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 11 जगमालाराम को बेचान करने पर शेष वागाराम के 1/11 हिस्से यानि रकबा 2.198 हैक्टेयर में से शेष रकबा 0.438 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को तर्क कर दी गई, जिससे कुल आराजी रकबा 23.85 हैक्टेयर में से वागाराम प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा रकबा 2.198 हैक्टेयर कम करने पर शेष भूमि रकबा 21.652 हैक्टेयर में वादीया का वादग्रस्त आराजी में 1/10 हिस्से की भूमि पर पैतृक–पुश्तैनी भूमि होने के नाते स्व. धुड़ाराम के फौत होने के बाद से आज दिन तक लगातार एक सह काश्तकार के रूप में कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादीया वादग्रस्त आराजी में 1/10 हिस्से की खातेदारी हक पाने की अधिकारिणी है, जिससे यह वाद बाबत् खातेदारी हक घोषणा का पेश किया है। साथ ही स्व. धुड़ाराम के फौत होने पर उनकी खातेदारी आराजी में वादीया का नाम दर्ज नहीं करवाया तथा वादीया अनपढ होने से उक्त वादीया का वादग्रस्त आराजी में नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी नहीं हो सकी। वादीया को कृषि के लिए खाद–बीज लाने हेतु पैसों की आवश्यकता होने से बैंक ऋण लेने हेतु संबंधित आराजी की जमाबंदी लेने पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त आराजी में दिनांक 12.01.19 को गई, तब पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त आराजी में वादीया का नाम दर्ज नहीं है, तब जानकारी हुई। उसके बाद वादीया दिनांक 13.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से मिली तथा उक्त आराजी में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु कहा, तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने स्पष्ट मना कर दिया तथा उल्टी वादीया को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल करने की धमकी दी तथा वादीया के हिस्से की भूमि अन्य शख्स को बेचान करने की धमकी दी। तब वादीया ने वादग्रस्त आराजी से संबंधित रेकर्ड दिनांक 16.01.2019 को प्राप्त होने पर वादीया को अपना हिस्सा अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश कर सरहद मौजा कूका तहसील बागोड़ा में स्थित आराजी नवीन खसरा नंबर 31 रकबा 6.83 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 860/31 रकबा 2.81 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 404 रकबा 3.48 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 638 रकबा 2.64 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 27 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 58 रकबा 7.60 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 30 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन खसरा नंबर 57 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुल खसरे 7 कुल रकबा 23.85 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम का हिस्सा रकबा 2.198 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 11 जगमालाराम को रकबा 1.76 हैक्टेयर बेचान करने तथा शेष रकबा 0.438 हैक्टेयर तर्क प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को करने पर वागाराम का कुल रकबा 2.198 हैक्टेयर घटाने पर शेष रकबा 21.652 हैक्टेयर में से वादीया का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा की खातेदारी घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम का नाम उक्त सम्पूर्ण भूमि से हटाया जाने की इस्तदुआ चाही। साथ ही वादीया की पैतृक पुश्तैनी हिस्से की भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 येन–केन प्रकारेण बेदखल करने पर तुले हुए है तथा बेदखल करने व वादीया का हिस्सा बेचान करने की धमकी दे रहे है, जिससे उन्हें रोकने हेतु वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर घोषणा खातेदारी अनुसार वादिया की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्वयं तथा अन्य किसी शख्श से दखलंदाजी नहीं करे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने बाबत् इस्तदुआ चाही।

इसके अलावा वादकारण दिनांक 25.12.1987 को पैदा हुआ, जब वादीया के पिता फौत होने के बाद फौतगी नामांतरणकरण संख्या 198 में

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

वादीया का नाम दर्ज नहीं किया। उसके बाद दिनांक 12.01.2019 को पैदा हुआ, जब पटवारी हल्का से संबंधित रेवन्यू रेकर्ड प्राप्त करने हेतु वादीया गई, तब पटवारी हल्का द्वारा उक्त रेकर्ड में वादीया का नाम दर्ज नहीं होना बताया तथा उसके बाद दिनांक 13.01.2019 को वादीया प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से मिली तथा मना कर दिया तथा उल्टी वादीया को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी, तब पैदा हुआ, उसके बाद निरन्तर होना बताया।

उपरोक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 11 के सम्मन तामील के बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 ने जवाबदावा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त जवाबदावा में प्रतिवादी संख्या 2 से 10 ने वादीया के वाद में अंकित सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब देहिंदा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 का वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कूका तहसील बागोड़ा में स्थित आराजी नवीन खसरा नंबर 31 रकबा 6.83 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 860/31 रकबा 2.81 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 404 रकबा 3.48 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 638 रकबा 2.64 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 27 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 58 रकबा 7.60 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 30 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन खसरा नंबर 57 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुल खसरे 7 कुल रकबा 23.85 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम का हिस्सा रकबा 2.198 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 11 जगमालाराम को रकबा 1.76 हैक्टेयर बेचान करने तथा शेष रकबा 0.438 हैक्टेयर तर्क प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को करने पर वागाराम का कुल रकबा 2.198 हैक्टेयर घटाने पर शेष रकबा 21.652 हैक्टेयर में से वादीया का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा की खातेदारी घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम का नाम उक्त सम्पूर्ण भूमि से हटाया जावे। माफिक खातेदारी घोषणानुसार स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

तदोपरांत वादी व प्रतिवादीगण के कथनों का विनिश्चय करने हेतु निम्नलिखित विवाद्यक बिन्दू विरचित किए गए :—

1. आया वादीया अपने पिता के नाम की पैतृक पुश्तैनी भूमि खातेदारी आराजी मौका कूका में दर्ज हुई थी, जिसमें वादीया खातेदारी हक प्राप्त करने की अधिकारिणी है। (जिम्मे वादीया)

2. आया वादीया अपने पिता के फौतगी नामांतरणकरण संख्या 198 में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ सह खातेदारों में स्वयं का नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है, जिस हेतु वादीया खातेदारी हक व घोषणा की प्राप्त करने की अधिकारिणी है। (जिम्मे वादीया)

3. आया वादीया नए खसरा नंबर 31, 860/31, 404, 638, 27, 58, 30, 57 कुल रकबा 23.85 हैक्टेयर मौजा कूका में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 2.198 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 11 को बेचान करने तथा शेष रकबा 0.438 हैक्टेयर का तर्क प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को करने पर वागाराम का कुल रकबा 2.198 हैक्टेयर घटाने पर शेष रकबा 21.652 हैक्टेयर में से वादीया का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा की खातेदारी घोषणा पाने की अधिकारिणी है। (जिम्मे वादीया)

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि का बेचान व तर्क करने पर शेष उनके हिस्से में भूमि नहीं रहने से वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावे। (जिम्मे वादीया)

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

5. आया प्रतिवादी संख्या 2 से 10 नए खसरा नंबर 31, 860/31, 404, 638, 27, 58, 30, 57 कुल रकबा 23.85 हैक्टेयर मौजा कूका में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 2.198 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 11 को बेचान करने तथा शेष रकबा 0.438 हैक्टेयर का तर्क प्रतिवादी संख्या 02 से 04 को करने पर वागाराम का कुल रकबा 2.198 हैक्टेयर घटाने पर शेष रकबा 21.652 हैक्टेयर वादग्रस्त में से प्रतिवादी संख्या 02 से 10 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा की खातेदारी घोषणा पाने की अधिकारिणी है।

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2 से 10)

6. आया वादीया वादग्रस्त आराजी में से 1/10 हिस्से तक की प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। (जिम्मे वादीया)

वादीया ने अपने वाद के समर्थन में नकल प्रथम खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2029 प्रदर्श EXD-1, पुरानी जमाबंदी संवत् 2024 से 2038 प्रदर्श EXD-2 से EXD-5 तक, नकल नामांतरणकरण संख्या 190 प्रदर्श EXD-6, द्वितीय मिसल बंदोबस्त प्रदर्श EXD-7, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श EXD-8, नई जमाबंदी संवत् 2049 से 2068 प्रदर्श EXD-9 से EXD-17, नकल नामांतरणकरण संख्या 117 प्रदर्श EXD-18, नकल नामांतरणकरण संख्या 162 प्रदर्श EXD-19, नकल नामांतरणकरण संख्या 570 प्रदर्श EXD-20, नकल नामांतरणकरण संख्या 707 प्रदर्श EXD-21, नकल नई जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 प्रदर्श EXD-22 से EXD-24, नकल नवीन नक्शा प्रदर्श EXD-25 से EXD-32, नकल दस्तावेज हक तर्कनामा प्रदर्श EXD-33, नकल नामांतरणकरण संख्या 707 प्रदर्श EXD-34 मौजा कूका के प्रदर्शित करवाए गए, जो संलग्न पत्रावली है।

उपक्ष पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :—

तनकी संख्या 1 — प्रदर्श खतौनी बंदोबस्त EXD-1 एवं पुरानी जमाबंदी संवत् 2024 से 27 EXD-2, जमाबंदी संवत् 2028 से 31 EXD-3, जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 EXD-4, जमाबंदी संवत् 2035 से 38 EXD-5 में वादीया के पिता धुडाराम पुत्र गणेशा कौम विश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज होने से उक्त आराजी वादीया की पैतृक पुश्तैनी साबित होने से वादीया खातेदारी हक पाने की अधिकारी है। उक्त तनकी वादीया के जिम्मे होने से पुराने राजस्व दस्तावेज से वादीया की पैतृक पुश्तैनी साबित होने से वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 — प्रदर्श नामांतरणकरण संख्या 198 EXD-6 वादीया के पिता धुड़ाराम का फौतगी नामांतरणकरण में केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम दर्ज हुआ था, जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 10 का नाम सह खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी डूंगरवा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम उक्त खातेदारी दर्ज होने से स्वयं का नाम भी दर्ज करवाने व खातेदारी हक व घोषणा पाने की अधिकारी होने से उक्त तनकी जिम्मे वादीया द्वारा फौतगी नामांतरणकरण से साबित होने से वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 — वादीया नए खसरा नंबर 31, 860/31, 404, 638, 27, 58, 30, 57 कुल रकबा 23.85 हैक्टेयर मौजा कूका में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 2.198 हैक्टेयर में से वागाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 को 1.76 हैक्टेयर का बेचान तथा शेष रकबा 0.438 हैक्टेयर का तर्क दस्तावेज हक तर्कनामा प्रदर्श EXD-33 व नामांतरणकरण संख्या 707 प्रदर्श EXD-34 से साबित होने

सहायक कलेक्टर
आगोड़ा

Scanned by CamScanner

वागाराम का कुल रकबा 2.198 घटाने पर शेष रकबा 21.652 हैक्टेयर में से वादीया 1/10 तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वादीया के जिम्मे होने से प्रदर्श नामांतरणकरण EXD-18, EXD-33 वEXD-34 से साबित होने से वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4—वादीया द्वारा वाद के समर्थन में पेश राजस्व दस्तावेज नामांतरणकरण संख्या 117 प्रदर्श EXD-18,हक तर्कनामा प्रदर्श EXD-33व नामांतरणकरण संख्या 707 प्रदर्श EXD-34से साबित होने से प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में से नाम हटाया जावे। उक्त तनकी वादीया द्वारा पेश राजस्व दस्तावेज से साबित होने से वादीया के जिम्मे होने से वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5—प्रतिवादी संख्या 2 से 10 नए खसरा नंबर 31, 860/31, 404, 638, 27, 58, 30, 57 कुल रकबा 23.85 हैक्टेयर मौजा कूका में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 2.198 हैक्टेयर में से नामांतरणकरण संख्या 117 द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 को बेचान करने तथा शेष रकबा 0.438 हैक्टेयर का तर्क प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को करने पर वागाराम का कुल रकबा 2.198 हैक्टेयर घटाने पर शेष रकबा 21.652 हैक्टेयर वादग्रस्त में से प्रतिवादी संख्या 2 से 10 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा की खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के होने से उनके द्वारा वाद में पेश जवाबदावा व रेकर्ड से साबित होने से प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6—वादीया उक्त वाद में अपने पिता की पैतृक पुश्तैनी आराजी में 1/10 हिस्से तक की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उक्त तनकी वादीया द्वारा प्रस्तुत तमाम राजस्व दस्तावेज एवं वादीया की साक्ष्य से साबित होने से जिम्मे वादीया होने से वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

हमने वाद के समर्थन में पेश राजस्व दस्तावेज एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं उक्त वाद में कायम की गई तनकीयात व वादीया के बयान पी.डब्ल्यू–1 का अवलोकन किया गया, जिससे यह साबित है कि वादीया का उक्त वाद स्वीकार योग्य है, जिसको डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलेक्टर,
बागोड़ा
सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

—: डिक्री :—

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कूका तहसील बागोड़ामें स्थित आराजी खसरा नंबर 27 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 30 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नंबर 31 रकबा 6.83 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 57 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नंबर 638 रकबा 2.64 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 860/31 रकबा 2.81 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल रकबा 12.77 हैक्टेयर नवीन खतौनी संख्या 134 में वादीया का 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाती है। इसी प्रकार सरहद मौजा कूका तहसील बागोड़ामें स्थित आराजी खसरा नंबर 58 रकबा 7.60 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम नवीन खाता संख्या 81 में प्रतिवादी संख्या 11 जगमालराम का 1/4 हिस्सा व हक यथावत रखते हुए शेष रकबे में वादीया का 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

प्रत्येक का 1/10 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाती है। इसी प्रकार सरहद मौजा कूका तहसील बागोड़ामें स्थित आराजी खसरा नंबर 404 रकबा 3.48 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम नवीन खाता संख्या 283 में रकबा 0.438 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक–हिस्से में यथावत रखते हुए शेष रकबे में वादीया का 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10 की खातेदारी घोषित की जाती है। उपरोक्तान खातेदारी हक घोषणा की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के सादिर की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 वागाराम का नाम उपरोक्त मौजा कूका के जमाबंदी राजस्व रेकर्ड तीनों खतौनी संख्या 134, 81 व 283 से हटाए जाने के आदेश पारित किए जाते है। उपरोक्त खातेदारी खातेदारी हक घोषणा अनुसार आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 वादीया के कब्जे काश्त तथा उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी नहीं करें न ही करावे, इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के जारी की जाती है। वादीया के हक में उपरोक्त घोषणानुसार संबंधित राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु संबंधित तहसीलदार बागोड़ा को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06/12/2019 को सरे इजलास पढकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर,
बागोड़ा

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gomati Sharma
Date: 2020.01.10 18:06:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: